दिनांक 17.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 17/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बरेली/थाना बिथरी चैनपुर</u>

- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट गये 61 हजार रूपये नगद, फटे हुए चेक व पासबुक**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.07.2022 को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झुमका स्टेट कालोनी परिसर के पास चेकिंग के दौरान 06 शातिर अभियुक्तों 1–रोहिताश 2–विचित्र 3–सनी 4–आदित्य उर्फ रोहित 5–विक्की 6–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट गये 61 हजार रूपये नगद, फटे हुए चेक, पासबुक, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रोहिताश के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 11.07.2022 को थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहिताश निवासी उगनपुर थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

2—विचित्र निवासी भगवानपुर धीमरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

3—सनी निवासी कुम्हरा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

4—आदित्य उर्फ रोहित निवासी ललौरी खेड़ा ब्लॉक थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत।

5—विक्की निवासी हरचुईया थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत।

6—विकास निवासी सिसौना थाना विशारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लूट गये 61 हजार रूपये नगद, फटे हुए चेक, पासबुक।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 11 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **01 इनोवा कार बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना बहजोई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिक्टा रोड नवीन पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1— अनीस

2–नौशाद 3–असगर को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 11 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 इनोवा कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.07.2022 को थाना बहजोई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहजोई पर मु0अ0सं0 341/2022 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीस निवासी मो0कायस्थान पूर्वी कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

2–नौशाद निवासी मो0मुस्तफानगर कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

3–असगर निवासी मो0मुस्तफानगर कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 11 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

4–01 इनोवा कार।

जनपद बांदा/थाना तिन्दवारी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **11 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना तिन्दवारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1—अनुज उर्फ दादा भाई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर अभियुक्त 2—शैलेन्द्र प्रताप उर्फ शीलू 3—संगम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण, 11 हजार 500 रूपये नगद, 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.07.2022 व दिनांक 06.07.2022 को थाना तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिन्दवारी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तिन्दवारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनुज उर्फ दादा भाई निवासी डगरा डेरा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

2—शैलेन्द्र प्रताप उर्फ शीलू निवासी रामपुर थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।

3—संगम निवासी धौसड़ थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–11 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

<u>जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना रोहनियाँ</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना रोहनियाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जफराबाद रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रद्युम्म उर्फ प्रदुम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.07.2022 को थाना रोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पर मु0अ0सं0 266/2022 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–प्रद्युम्म उर्फ प्रदुम निवासी कन्नाडाड़ी थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1—लूट के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **चोरी के 13 मोटर साइकिल के पार्ट्स व मोटर साइकिल से सम्बन्धित अन्य सामान बरामद**

दिनांक 16.07.2022 को थाना सिकरारा व थाना मछलीशहर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शेरवा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—गया प्रसाद 2—उदल 3—गगन 4—अरविन्द कुमार उर्फ निरहू 5—राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। अन्य दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल चोरी के 13 मोटर साइकिल के पार्ट्स व मोटर साइकिल से सम्बन्धित अन्य सामान बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिकरारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गया प्रसाद निवासी कान्हापुर थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

2—उदल निवासी खेतलपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

3—गगन निवासी खेतलपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

4—अरविन्द कुमार उर्फ निरहु निवासी बहरईचा थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर।

5—राजकुमार निवासी भुइला थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 13 मोटर साइकिल के पार्ट्स व मोटर साइकिल से सम्बन्धित अन्य सामान।

<u>जनपद हरदोई/थाना बघौली/थाना माधौगंज</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना बघौली व थाना माधौगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 05 अभियुक्तों 1–सलीम 2–मो0हनीफ 3–निजामुद्दीन 4–धीरज उर्फ पहाड़ी 5–कमलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो विभिन्न जनपदो से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना बघौली व थाना माधौगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सलीम निवासी तकिया थाना बघौली जनपद हरदोई।

2–मो0हनीफ निवासी तकिया थाना बघौली जनपद हरदोई।

3–निजामुद्दीन निवासी तकिया थाना बघौली जनपद हरदोई।

4–धीरज उर्फ पहाड़ी निवासी गोपलिया थाना माधौगंज जनपद हरदोई।

5–कमलेश निवासी इन्दापुरवा थाना माधौगंज जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 750 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना साहिबाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिन्डन एयरफोर्स चौकी के पास चेकिंग के दौरान 03 मादक पदार्थ तस्करों 1–तैय्यब खान 2–शहजाद 3–सैफ को गिरफ्तार किया गया। अन्य दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 750 ग्राम अवैध स्मैक, 01 कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तैय्यब खान निवासी पीरबोढ्ढा थाना इज्जतनगर बरेली।

2–शहजाद निवासी बिहार कला थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

3–सैफ निवासी मजनूपुर थाना भमोरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 750 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 कार।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 60 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 16.07.2022 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरबकपुर बार्डर के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अतुल कुमार 2–धर्मवीर को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 60 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा, 01 कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अतुल कुमार निवासी सिरिसिया मिश्र थाना खामपार जनपद देवरिया।

2—धर्मवीर निवासी भठवां तिवारी थाना खामपार जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—लगभग 18 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 60 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 कार।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी भाराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डी0सी0एम0 ट्रक में रखे 327 पेटी अवैध अंग्रेजी भाराब (अनुमानित मूल्य लगभग 27 लाख रू0) बरामद।

दिनांक 16—07—2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (208 पेटी 111 गोल्ड ब्राण्ड की जो सिर्फ समुद्र पार निर्यात के लिए वैध है व 119 पेटी लेबल रहित) सहित डी0सी0एम0 ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1— राम बाबू राय पुत्र जवाहिर राय नि0 मदरना, थाना वैशाली, जनपद—वैशाली (बिहार)

2— शिवशंकर पुत्र केदारनाथ पाण्डेय निवासी पाण्डेयपुरवा, थाना—वैदौरा, मसरिक, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

3– पवन कुमार साव पुत्र लक्षमण साव नि0 अमनौर, थाना–अमनौर, जनपद छपरा (बिहार)

बरामदगीः–

1– **327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।**

(208 पेटी 111 गोल्ड ब्राण्ड की जो सिर्फ समुद्र पार निर्यात के लिए वैध है व 119 पेटी लेबल रहित)

2– 01 अदद डी0सी0एम0 ट्रक जिस पर कूटरचित नं0 सीएच 01 टीवी 3811 अंकित है।

3– 04 अदद मोबाइल फोन।

4– 01 अदद आधार कार्ड।

5– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

6– नकद 5,900/– रूपये।

7– 280 खाली कैरेट।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

नेरी नेवादा इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास थाना क्षेत्र महोली जनपद–सीतापुर। दिनांक 16–07–2022 समय 17.30 बजे।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेष के रास्ते बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 16—07—2022 को एस0टी0एफ0 लखनऊ के उ0नि0 श्री पवन कुमार सिंह, मु0 आरक्षी रमाशंकर चौधरी, आरक्षी श्रीकृष्ण गिरि, शैलेन्द्र उपाध्याय, सुधीर की टीम जनपद सीतापुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी, कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा पंजाब प्रान्त के चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु दिल्ली—लखनऊ नेषनल हाईवे के रास्ते बलिया प्रान्त ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर विष्वास कर एस0टी0एफ0 टीम तत्काल मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहॅुचकर वाहन का इन्तजार करने लगी। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बताये गये नम्बर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उक्त वाहन को नेरी नेवादा इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास रोककर आबकारी निरीक्षक सुश्री आरती यादव के सहयोग से चेक किया गया, तो डी0सी0एम0 ट्रक पर लोड खाली कैरेट के बीच में अवैध अंग्रेजी शराब छिपायी गयी थी, जिस पर उक्त डी0सी0एम0 ट्रक पर लदी अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर 03 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कन्हैया सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी चण्डीगढ़, पंजाब (मूल निवासी बलिया) द्वारा नेहा गुड्स ट्रान्सपोर्ट जिरकपुर, पंजाब के मालिक रंजीत सिंह आदि का गिरोह है, जो अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का काम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जाता है। उक्त गिरोह के लोगों द्वारा ही यह अवैध अंग्रेजी शराब पंजाब से बलिया भेजी जा रही थी। जहॉ से छोटी—छोटी गाड़ियों से बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में पहुँचाया जाता। कन्हैया सिंह मूलरूप में बलिया का निवासी है, जो पंजाब में रहकर शराब तस्करी का गिरोह बनाकर अपने मूल जनपद बलिया में शराब भेजता है, जहॉ पर गड़वार पेट्रोल पम्प के पास हम लोग गाड़ी लेकर पहॅुचते हैं, वहॉ से उसके आदमी गाड़ी लेकर चले जाते है, जो शराब उतारकर गाड़ी वापस कर देते है। कन्हैया सिंह जनपद बलिया में कई जगहो पर छोटे—छोटे गोदाम बना रखा है, जहॉ से इस शराब की सप्लाई बिहार राज्य के विभिन्न जनपदों में की जाती है। साथ ही अभियुक्तों ने यह भी बताया कि नेहा गुड्स ट्रान्सपोर्ट जिरकपुर, पंजाब के लगभग सभी गाड़ियों का नम्बर प्लेट बदलकर शराब तस्करी किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना महोली, जनपद—सीतापुर में दाखिल करके मु0अ0सं0 388/2022 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————————